न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर

बइजलास – श्री राकेश कुमार गुप्ता, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 38/2021

अपीलान्ट्स	बनाम	रेस्पोडेन्ट
1यशपाल खिलेरी एडवोकेट पुत्र स्व. रामनिवास चौधरी जाति जाट निवासी ग्राम निम्बोला खुर्द तहसील डेगाना जिला नागौर हाल निवासी 18/525, चौपासनी हाउसिंग बोर्ड, जोधपुर। 2प्रेमप्रकाश पुत्र स्व. रामनिवास चौधरी जाति जाट निवासी ग्राम निम्बोला खुर्द तहसील डेगाना जिला नागौर। 3महेन्द्र कुमार पुत्र स्व. रामनिवास चौधरी जाति जाट निवासी ग्राम निम्बोला खुर्द तहसील डेगाना जिला नागौर हाल निवासी खसरा सं. 9 बासनी चौहाना, शताब्दी सर्कल के पास, पाली रोड, जोधपुर। 4राजेश पुत्र रामनिवास चौधरी जाति जाट निवासी ग्राम निम्बोला खुर्द तहसील डेगाना जिला नागौर हाल निवासी 21, नेहरू नगर–सी, रेण बाईपास, बाईपास, मेडता शहर जिला नागौर। 5श्रीमती केशर देवी पत्नी स्व. रामनिवास चौधरी जाति जाट निवासी ग्राम निम्बोला खुर्द तहसील डेगाना जिला नागौर हाल निवासी 21, रेण बाईपास मेडता शहर जिला नागौर।		राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार डेगाना जिला नागौर।

उपस्थिति :–

1. श्री हेमाराम गोलिया अधिवक्ता अपीलान्ट्स की ओर से।
2. श्री ओम प्रकाश पूनिया राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट की ओर से।

निर्णय दिनांकः 30.10.2023

{1}–मामलें के संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट्स ने यह अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार, डेगाना द्वारा धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण संख्या 114/2019 सरकार बनाम प्रेमप्रकाश व अन्य में निर्णय दिनांक 27.06.2019 के तहत मौजा निम्बोला खुर्द की भूमि से बेदखली व शास्ति से असंतुष्ट होकर दिनांक 24.09.19 को प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट्स की अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट की ओर से श्री ओम प्रकाश पूनिया राजकीय वकील उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड मंगवाया गया। अपीलांट्स द्वारा अपनी अपील के समर्थन में निर्णय दिनांक 24.06.2019 की फोटोप्रति पेश की गई।

{2}–उभयपक्ष के वकुलाय की बहस सुनी गई। वकील अपीलांट्स ने मियाद के बिन्दु पर बताया कि अपीलांट्स को उक्त अपीलाधीन आदेश की जानकारी हाल ही में तब हुई जब दिनांक 29.08.19 को अपीलांट संख्या एक उक्त प्रकरण के संबंध में जानकारी प्राप्त करने हेतु अधिवक्ता हनुमान राम मेघवाल से सम्पर्क किया तब उन्होनें कार्यालय से जानकारी प्राप्त कर अपीलांट संख्या 1 को बताया कि उक्त प्रकरण का फैसला दिनांक 27.06.19 को ही कर दिया गया, उक्त आदेश पारित होने की सूचना अपीलांट संख्या 1 को प्राप्त होने पर अपीलांट संख्या 1 ने उक्त अपीलाधीन आदेश सहित सम्पूर्ण पत्रावली की नकल हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जो नकल अपीलांट्स को दिनांक 12.09.19 को प्राप्त हुई, जानकारी के अभाव में अपील पेश करने में जो देरी हुई है, जो सद्भाविक है, जिसे जानकारी की तिथी से अंदर मियाद मानी जावे। राजकीय अधिवक्ता द्वारा मियाद के बिन्दु पर विरोध नही किया गया है। अतः नरम रूख अपनाते हुए मियाद प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। वकील अपीलांट्स ने आगे अपनी अपील के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि–

{2}(I)– रेस्पोडेंट के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश प्राकृतिक न्याय एवं विधि के सुस्थापित सिद्वान्तों के विपरीत पारित किया हुआ होने से खारिज किये जाने योग्य है।

{2}(II)– अपीलांट संख्या 1 के द्वारा दिनांक 26.03.19 को प्रस्तुत जवाब रेकर्ड पर उपलब्ध होने के बावजूद भी अपीलाधीन आदेश में जवाब प्रस्तुत नहीं होना बताकर छपा–छपाया आदेश पारित किया गया है, तथा अपीलांट संख्या 1 के द्वारा प्रस्तुत जवाब का किसी भी प्रकार का विवेचन नहीं किया गया है, न ही

अपर कलक्टर, नागौर

अपने आदेश में उक्त जवाब में वर्णित किसी भी तथ्यों का वर्णन किया है, इस कारण अपीलाधीन आदेश विधि विरूद्व एवं नोन स्पीकिंग आदेश होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

{2}(III)–उक्त प्रकरण में ग्रामवासियों यथा सुखदेवराम पूर्व सरपंच, हरिराम पुत्र रामसुख चौधरी, रामाकिशन पुत्र बक्साराम, लालाराम पुत्र रामसुख के द्वारा दिनांक 23.04.19 को अपने शपथ पत्र पेश कर वर्णित किया गया कि मौके पर किसी भी प्रकार का किसी भी व्यक्ति विशेष का कब्जा एवं अतिक्रमण नहीं है तथा मौके पर आज दिन सार्वजनिक हितार्थ एवं गायों के उपयोग हेतु पानी के ठावों के रूप में प्याउ, हौद, खेली का निर्माण ग्रामवासियों के द्वारा ही करवाया हुआ है तथा मूर्ति ग्रामवासियों की आस्था का प्रतीक है। उक्त शपथ पत्रों एवं उक्त लोगों के द्वारा रेस्पोडेंट के समक्ष प्रस्तुत की गई साक्ष्य का किसी भी प्रकार से विवेचन नहीं करके उक्त अपीलाधीन आदेश विधि विरूद्व तरीके से पारित किया गया है, जो अपास्त किये जाने योग्य है।

{2}(IV)–पटवारी के द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में मौके पर मूर्ति छतरी, हौद, प्याउ आदि निर्मित करके अतिक्रमण बताया गया है, जबकि रेस्पोडेंट के द्वारा पारित आदेश में अपीलांट्स के द्वारा सरकारी भूमि पर अतिक्रमण कर बाडा बनाये जाने एवं उक्त अपीलाधीन आदेश के जरिये अपीलांट्स को बाडे से बेदखल करने का आदेश पारित किया गया है। जबकि अपीलांट्स ने मौके पर किसी भी प्रकार के बाडे का निर्माण कर अतिक्रमण नहीं किया गया है। मौके पर केवल मात्र सार्वजनिक हितार्थ एवं गायों के पानी के ठानों का निर्माण हो रखा है, जो सार्वजनिक हितार्थ उपयोग में है, जो ग्रामवासियों के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य शपथ से बखुबी स्पष्ट है। अपीलांट्स के द्वारा निजी उपयोग हेतु किसी भी प्रकार का निर्माण करवाया हुआ नहीं है और न ही अतिक्रमण किया भी प्रकार का निर्माण करवाया हुआ नहीं है और न ही अतिक्रमण किया हुआ है। रेस्पोडेंट तहसीलदार डेगाना के द्वारा बिना पत्रावली का अवलोकन किये तथा बिना ज्यूडिशियली माईन्ड एप्लाई किये उक्त छपा छपाया अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, जो अपास्त किये जाने योग्य है।

{2}(V)– उक्त प्रकरण में एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि उक्त प्रकरण की तारीख पेश दिनांक 27.05.19 नियत की गई थी। उक्त दिनांक को अपीलांट यशपाल खिलेरी रेस्पोडेंट के यहां पर उपस्थित होने पर अपीलांट यशपाल खिलेरी को बताया गया कि तहसीलदार साहब लोक सभा चुनाव कार्यों में मेडता गये हुए होने से अपीलांट को आगामी तारीख पेशी बता दी जायेगी। तत्पश्चात तहसीलदार कार्यालय के द्वारा अपीलांट संख्या 1 को पेशी बाबत् न तो कोई सूचना प्रेषित की गई और अन्य अपीलांट को पूर्व आदेशिका अनुसार नोटिस जारी किये गये तथा तहसीलदार महेश दत्त शर्मा के द्वारा दिनांक 30.06.19 को सेवानिवृत होने के पश्चात, माह अगस्त, 2019 के आखरी सप्ताह में पुराने पैन्डिग हस्ताक्षर करने के उद्देश्य से कार्यालय आये और उक्त पत्रावल को पैन्डीग बताकर दिनांक 27.05.19 की तारीख पेशी में काट छाट करते हुए उक्त तारीख पेशी को दिनांक 27.06.2019 अंकित कर जानबूझकर छपा छपाया अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया। सेवा निवृत तहसीलदार साहब का उक्त व्यवहार प्रसज्ञान लिये जाने योग्य है। पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत करने पर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैर सायल को नोटिस एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु अवसर दिया गया। अपीलांट यशपाल खिलेरी ने जवाब प्रस्तुत करके मौके पर किसी भी तरह का किसी भी व्यक्ति कब्जा व अतिक्रमण नहीं होना का विस्तृत जवाब प्रस्तुत किया। जबकि अन्य गैर सायलान् के नोटिस अदम तामिल लौटने पर दिनांक 26.03.19 को पुनः नोटिस जारी किया गये। आगामी तारीख दिनांक 23.04.19 को अन्य गैर सायलान/ अपीलांट संख्या 2 से 5 को न तो पुनः नोटिस जारी हुए और न ही उनकी तामिल बाबत् को ई रिपोर्ट रेकर्ड पर प्राप्त हुई, अतः अपीलांट की अपीलाट्स की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जावे।

{3}–राजकीय अभिभाषक द्वारा बहस के दौरान बताया गया कि अपीलांट्स द्वारा मौजा निम्बोला खुर्द में स्थित सरकारी भूमि पर अतिक्रमण किये जाने पर विधिवत प्रकरण दर्ज कर अपीलांट्स को नोटिस जारी किया गये। अपीलाधीन आदेश में अपीलांट्स को अतिक्रमी माना जाकर निर्णय जैर अपील पारित किया गया है, जो सही एवं उचित होने से यथावत कायम रखा जाना चाहिये।

{4}– उभयपक्ष के वकुलाय की बहस पर मनन किया गया। अपीलान्ट्स ने अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार, डेगाना द्वारा धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत मौजा निम्बोला खुर्द के प्रकरण संख्या 114/2019 सरकार बनाम प्रेमप्रकाश व अन्य में निर्णय दिनांक 27.06.2019 से असंतुष्ट होकर अपील पेश की। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने पर ज्ञात होता है कि आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व अपीलान्ट्स को विधिवत नोटिस जारी किये गये है, परन्तु सभी अपीलांट के नोटिस तामिल नहीं हुए जिससे फर्द अहकाम दिनांक 26.03.2019 को नोटिस पुनः जारी करने का आदेश दिया गया परन्तु सभी अपीलांट की विधिवत तामिल नहीं

अपर कलक्टर, नागौर

हुई है तथा अधीनस्थ न्यायालय की सुनवाई के दौरान सभी अपीलांट्स उपस्थित रहे हो, ऐसा अभिलेख से प्रकट नही है। ऐसी स्थिति मे आदेश जैर अपील अपीलांट्स की पर्याप्त सुनवाई के अभाव मे इकतरफा पारित हुआ है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश मे हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत होता है।

{5}– उपरोक्त विवेचनात्मक विवेचन के आधार पर अपीलान्ट्स की अपील स्वीकार कर तहसीलदार डेगाना द्वारा मौजा निम्बोला कलां के प्रकरण संख्या 114/2019 सरकार बनाम प्रेमप्रकाश व अन्य निर्णय दिनांक 27.06.19 अपास्त किया जाता है। मामला अधीनस्थ न्यायालय को पुनःप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि अपीलांट्स को पर्याप्त सबूत, शहादत व सुनवाई का अवसर देते हुए गुणावगुण पर आदेश पारित करे।

(राकेश कुमार गुप्ता)
अपर कलक्टर,
नागौर
अपर कलक्टर, नागौर